राजस्थान सरकार

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक : 18 अक्टूबर 2012

1. आयुक्त, जयपुर /जोधपुर विकास प्राधिकरण।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   नगर निगम, (समस्त) राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :– "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012" आयोजित करने बाबत् दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 17/10/2012

राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में आगामी 'प्रशासन शहरों के संग अभियान' चलाए जाने के संबंध में समसंख्यक परिपत्र के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है। उक्त निर्देशों के बिन्दु संख्या 27 में बताया गया है कि परिपत्र के बिन्दु संख्या 1(vi), 1(viii), 1(ix), 1(x), एवं 11 पर वर्णित शिथिलताओं के लिए वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेगें।

अब इस क्रम में वित्त विभाग द्वारा भी (i)अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12–73 टैक्स/12–72 दिनांक 18.10.2012, (ii) अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12–74 दिनांक 18. दिनांक 18.10.2012, (iii) अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12–75 दिनांक 18.10.2012 10.2012 एवं (iv), अधिसूचना कमांक एफ 2(70)एफ.डी./टैक्स/12–75 दिनांक 18.10.2012 जारी कर दी गयी है जिनकी प्रतियां संलग्न है। वित्त विभाग की इन अधिसूचनाओं के अनुरूप इस विभाग के संदर्भित परिपत्र में वर्णित किये गये निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही निम्न प्रकार से की जानी है :–

1. <u>दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की योजनाओं के हस्तानान्तरित भूखण्डों के नियमन की प्रकिया, नियमन शुल्क तथा पंजीयन शुल्क</u> :–

संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1(vi) के अन्तर्गत बताया गया है कि जिन भूखण्डों को दिनांक 30.9.2012 तक जितनी बार हस्तान्तरण किया गया है उनका नगरीय निकायों द्वारा नियमन किया जायेगा। पंजीकृत इकरारनामा तथा कब्जे की स्थिति में केवल प्रीमियम राशि वसूल कर नियमन किया जायेगा तथा अपंजीकृत इकरारनामें एवं कब्जे की स्थिति में 10 रू प्रति वर्गगज राशि के साथ प्रीमियम राशि ली जाकर अन्तिम क्रेता के पक्ष में नियमन किया जायेगा।

(308)

वित्त विभाग ने ऐसे मामलों में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना/देयता के संबंध में अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12-72 दिनांक 18.10.2012 (प्रति संलग्न) जारी की है जिसके अनुसार :-

"1. यदि पट्टा विलेख स्वयं खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 500/- रूपये देय होगी।

2. यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क ब्याज, पेनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।"

अतः संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1(vi) के अन्तिम पैरा, जिसमें यह बताया गया था कि मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना नियमन शुल्क की चार गुणा राशि के आधार पर की जायेगी, को विलोपित समझा जावें तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 18.10.2012 के अनुसार ही की जावें।

2. **पूर्व में जारी पट्टो का पंजीयन :-**

संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1(viii) के अन्तर्गत बताया गया है कि जिन प्रकरणों में भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर भूखण्डों का नियमन कर पट्टे मय स्टाम्प शुल्क जारी किये जा चुके है किन्तु इन पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं करवाया गया है उन पट्टो के नवीनीकरण की कार्यवाही की जाकर सामान्य आवासीय प्रीमियम दर पर अभियान के दौरान शिविरों में पंजीयन करवाने की व्यवस्था की जायेगी। अगर पूर्व में पट्टा-विलेख स्टाम्प पेपर पर जारी किये जा चुके है तो पूर्ण मुद्रांकित पट्टों को नगर निकाय द्वारा रिवेलिडेट किया जायेगा और ऐसे पट्टों को रिवेलिडेशन की तारीख से निष्पादित मानते हुए पंजीयन करवाया जा सकेगा। पंजीयन की कार्यवाही दिनांक 31.03.2013 तक की जा सकेगी। उक्त छूट के लिये पट्टों के पंजीयन हेतु आवेदन शिविर अवधि में किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार रिवेलिडेट किये गये या पुनः निष्पादित किये गये पट्टों पर स्टाम्प शुल्क वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12-72 दिनांक 18.10.2012 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत निम्नानुसार देय होगा :-

"3 उपरोक्त निकायों के द्वारा नियमित/आवंटित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 एवं 25 के अनुसार निर्धारित 8 माह की अवधि में पंजीकृत नहीं करवाकर उपरोक्त निकायों से पुर्नवैध एवं पुनः निष्पादित करवा कर दिनांक 31.03.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विलेख/लिखत पर स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क ब्याज, पेनल्टी की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।"

3 दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई विभिन्न योजनाओं के नियमन हेतु पूर्व के कैम्पों में जिन भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं हुये उनके पट्टे जारी करने की प्रक्रिया :–

संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1(ix) के अन्तर्गत बताया गया है कि दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई विभिन्न योजनाओं के नियमन हेतु पूर्व में आयोजित कैम्पों के दौरान कतिपय कारणों से पट्टे जारी नहीं हो सके थे। प्रथम नियमन कैम्प में जारी पट्टे पर सामान्य नियमन दर के आधार पर नियमन शुल्क वसूल किया जाता है तथा प्रथम कैम्प के उपरान्त नियमन शुल्क पर प्रथम कैम्प की दिनांक से 15 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाता है। अतः अभियान के दौरान कैम्पों को प्रथम कैम्प मानते हुये केवल सामान्य प्रीमियम दर के आधार पर प्रीमियम राशि वसूल करने हेतु संदर्भित पत्र से निर्देश दिये गये है।

वित्त विभाग ने ऐसे मामलों में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना/देयता के संबंध में अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12–72 दिनांक 18.10.2012(प्रति संलग्न) जारी की है। अतः तदनुसार कार्यवाही की जावे।

4. अभियान के दौरान पट्टा नहीं लेने पर अतिरिक्त राशि :–

संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1(x) के अन्तर्गत दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी आवासीय कॉलोनियों के संदर्भ में बताया गया है कि अभियान के दौरान आयोजित शिविर की अन्तिम दिनांक 31.03.2013 तक पट्टा नहीं लिये जाने की स्थिति में शिविर अवधि के पश्चात् नियमन किये जाने पर भूखण्डधारी से सामान्य नियमन (प्रीमियम) शुल्क से दोगुनी राशि शास्ति एवं ब्याज के साथ वसूल की जायेगी।

वित्त विभाग द्वारा ऐसे मामलों में पृथक से आदेश जारी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पट्टो पर स्टाम्प शुल्क की छूट देय नहीं होगी।

5.पट्टे के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क बाबत –

संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 11 में बताया गया है कि पट्टा विलेख निष्पादन हेतु अभियान के दौरान अवधि पार (time barred) दस्तावेजों को नगर निकाय द्वारा Revalidate कर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर नियमन राशि पर ही मुद्रांक शुल्क देय होगा। यह छूट जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मण्डल तथा समस्त स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित पट्टो पर दिनांक 31.03.2013 तक ही लागू होगी। यह छूट केवल उसी स्थिति में देय होगी जब इस निमित प्रार्थना पत्र शिविर अवधि तक आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर दिया जावे।

वित्त विभाग ने ऐसे मामलों में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना/देयता के संबंध में अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12–73 दिनांक 18.10.2012(प्रति संलग्न) जारी की है जिसके अनुसार:–

32

"1. विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते है उन पर सरकार/स्थानीय निकाय/ उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।
2. विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात् एवं चार माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते है उन पर सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।
3. विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से चार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते है उन पर सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।"

अधिसूचना में वर्णित संस्थाओं द्वारा आवंटित/विकय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में अब तक पट्टे का निष्पादन ही नहीं हुआ हो तो अब पट्टा निष्पादित होने पर भी अधिसूचना कमांक एफ 2(80)एफ.डी./टैक्स/12-74 दिनांक 18.10.2012 के तहत निम्नानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा :-

"1. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर सरकार/स्थानीय निकाय/ उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि की दो तिहाई राशि पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।
2. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात् एवं चार माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर सरकार /स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।
3. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से चार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत होने पर सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि की दो तिहाई राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।"

(3:1)

6. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों के संलग्न शपथ पत्र को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किये जाने बाबत :–

(33)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू उपयोग परिवर्तन अनुज्ञा हेतु नियम 4 के उप नियम (1) या नियमितिकरण के लिये नियम 16 के उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.2(70)/वित्त/12–75 दिनांक 18.10.2012 के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले ऐसे शपथ पत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई हैं। अतः अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों के संलग्न शपथ–पत्र, स्टाम्प ड्यूटी के बिना भी स्वीकार्य होगें, लेंकिन शपथ–पत्र विधिवत सत्यापित होना आवश्यक हैं।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जी.एस.संधु)
प्रमुख शासन सचिव–नविवि

क्रमांकः प.3(54)नविवि/03/2011 जयपुर, दिनांकः 18.10.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय,राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका..............................।
10. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविवि।
11. रक्षित पत्रावली।

(आर.के.पारीक)
उप शासन सचिव–द्वितीय

(312)

(34)

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 18.10.2012

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(28)वित्त/कर/98-124 दिनांक 03.02.2007 को अतिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए या तत्समय प्रचलित धारा 90बी के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, तथा अन्य स्थानीय निकायों में निहित भूमि का इन निकायों द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आवंटन या नियमन उपरान्त जारी पट्टों का पंजीयन दिनांक 31.03.2013 तक कराने की स्थिति में, स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्नानुसार देय होगी:-

1. यदि पट्टा विलेख स्वयं खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 500/-रुपये देय होगी।
2. यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहीता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
3. उपरोक्त निकायो के द्वारा नियमित/आवंटित भूखण्डो के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 व 25 के अनुसार निर्धारित 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों से पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 31.03.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विलेख/लिखत पर स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज, पैनल्टी की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-72)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
शासन उप सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
13. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(35)

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक 18.10.2012

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.2(36)वित्त/कर/2010–60 दिनांक 19.08.2010 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपकम द्वारा आवंटित/विकय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन के लिए निर्धारित समयावधि अर्थात् निष्पादन की दिनांक से 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपकमों से पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 31.03.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे विलेखों या लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी :–

क्र. सं.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात एवं चार माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।
3.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से चार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।

(सं.एफ.2(80)एफ.डी./टैक्स/12–73)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
शासन उप सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर;
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, [illegible]।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, [illegible]।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
13. [illegible], जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(314)

(36)

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 18.10.2012

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(36)/वित्त/कर/2010-80 दिनांक 19.08.2010 का अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपक्रम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर दिनांक 31.03.2013 तक सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी:-

क्र. सं.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1	2	3
1	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह पश्चात एवं 4 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।
3	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 4 माह पश्चात एवं 8 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।

(सं.एफ.2(80)एफ.डी./टैक्स/12-74)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
शासन उप सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें;
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
13. निदेशक, जन अभाव अभियोग निराकरण, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(315)